मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई, 2026

विषयः- दिनांक 29.04.2026 को मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 29.04.2026 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भौतिक रूप से एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित अधिकारियों की सूची 'परिशिष्ट –अ' पर संलग्न है।

2/ बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

1. <u>शिक्षा</u>

(स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग)

1.1 नामांकन में वृद्धि एवं ड्रॉपआउट में कमी

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय से जोड़ा जाए। ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की सूची तैयार कर उनका पुनः प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य एवं संकुल प्राचार्य विद्यालयवार प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

1.2 जिला स्तर से दर निर्धारण प्रक्रिया

जिला स्तर पर निर्धारित की जाने वाली दरों की प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। वित्तीय स्वीकृतियों में अनावश्यक विलंब न हो। संबंधित विभागों की कलेक्टर द्वारा समग्र समीक्षा की जाए।

1.3 पुस्तकों की पोर्टल एंट्री

प्रत्येक विद्यार्थी को वितरित पाठ्यपुस्तकों की पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। लंबित डेटा तत्काल अद्यतन किया जाए। त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के लिए संबंधित संस्था प्रमुख उत्तरदायी होंगे।

2 आंगनवाड़ी पंजीयन (03 से 06 वर्ष)

03 से 06 वर्ष के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास), CDPO, पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर-घर सर्वे कर छूटे बच्चों का पंजीयन कराया जाए तथा पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।

2.1 को-लोकेशन

आंगनवाड़ी केन्द्रों का निकटस्थ कक्षा-1 संचालित शासकीय विद्यालयों के साथ को-लोकेशन कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। इस कार्य में जिला शिक्षा अधिकारी, DPO, CDPO एवं संबंधित जनपद अधिकारी समन्वय स्थापित करें। को-लोकेशन में आ रही समस्याओं को शीघ्र शासन स्तर पर अवगत कराते हुए निराकरण सुनिश्चित किया जाए। लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जाकर भौतिक सत्यापन उपरांत शत-प्रतिशत को-लोकेशन सुनिश्चित किया जाए।

2.2 मिशन अंकुर

सीखने के स्तर में सुधार हेतु मिशन अंकुर अंतर्गत विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। FLN सर्वे 2025 के आधार पर कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। मेंटरिंग विजिट के निर्धारित लक्ष्य पूर्ण किए जाएं तथा शिक्षण अवलोकन एवं मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों को फीडबैक प्रदान कर FLN परिणामों में सुधार सुनिश्चित किया जाए। रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता से की जाए एवं कलेक्टर द्वारा मासिक समीक्षा की जाए।

2.3 बालिका शौचालय

सभी विद्यालयों में बालिका शौचालय कार्यशील, सुरक्षित एवं स्वच्छ स्थिति में बनाए रखें। आवश्यक मरम्मत एवं जल उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित की जाए। अनियमितता की स्थिति में

जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रमुख उत्तरदायी होंगे। जिला प्रशासन द्वारा नियमित निरीक्षण कर पंचायत एवं शाला विकास समिति के समन्वय से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

2.4 जर्जर स्कूल / आंगनवाड़ी भवन

जर्जर भवनों की सूची तैयार कर उनकी मरम्मत अथवा नवीन भवन निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। पंचायत एवं शाला विकास समिति के समन्वय से उपयुक्त स्थानों पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारियों (CEO जिला पंचायत, DEO, DPO, CDPO, CMO) द्वारा कलेक्टर के निर्देशन में समीक्षा कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाए।

2.5 उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को जन-अभियान के रूप में संचालित किया जाए तथा समुदाय एवं स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2027 तक सभी असाक्षरों को बुनियादी साक्षर बनाने के लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही की जाए। डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए गलत रिपोर्टिंग से बचा जाए एवं प्रगति की मासिक समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जाए।

1.10 छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं परीक्षा प्रबंधन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.07.2025 के अनुसार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी सक्रिय रूप से कार्य करे।

2. ग्रामीण विकास, पेयजल एवं जनजातीय कार्य विभाग

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जनजातीय कार्य)

2.1 मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना

योजना अंतर्गत चयनित ग्रामों में स्वीकृत विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। CEO जिला पंचायत, संबंधित जनपद CEO, ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच द्वारा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। ग्राम स्तरीय समितियों का गठन कर जनभागीदारी से विकास कार्य संचालित किए जाएं। प्रत्येक चयनित ग्राम हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का समुचित उपयोग किया जाए। उक्त कार्यों की जिला कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा की जाए।

2.2 पेयजल उपलब्धता एवं वितरण

ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल संकट वाले ग्रामों की पहचान कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। खराब हैंडपंप, पाइपलाइन एवं मोटरों की मरम्मत प्राथमिकता से कराई जाए। कार्यपालन यंत्री (PHED), CEO जनपद पंचायत एवं ग्राम स्तरीय अमला पूर्ण उत्तरदायित्व एवं समन्वय के साथ कार्य करें।

2.3 पंचायत स्तर पर नवीन राजस्व स्रोत (OSR)

ग्राम पंचायतों के लिए नवीन राजस्व स्रोत विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित "मध्यप्रदेश पंचायत कराधान नियम" का प्रारूप शीघ्र तैयार किया जाए।

2.4 जल गंगा संवर्धन अभियान

अभियान अंतर्गत तालाब, कुएं, बावड़ी एवं अन्य जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन कराया जाए। जनभागीदारी से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। CEO जिला पंचायत, जनपद CEO एवं संबंधित अन्य विभागीय अमला समन्वय से कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रगति की नियमित समीक्षा जिला स्तर पर की जाए।

2.6 एकल नल जल योजनाएं

अपूर्ण एकल नल जल योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। तकनीकी बाधाओं का त्वरित निराकरण किया जाए। ग्राम पंचायतों को संचालन एवं संधारण की जिम्मेदारी सौंपे जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उक्त कार्यों की जिला कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा की जाए।

2.7 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

अपूर्ण आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। हितग्राहियों को किस्तों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। CEO जिला पंचायत एवं CEO जनपद पंचायत प्रगति सुनिश्चित करें। किसी समस्या की स्थिति में उच्च स्तर पर तत्काल अवगत कराया जाए। कलेक्टर द्वारा प्रति माह कम से कम एक बार समीक्षा की जाए।

2.8 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

योजना अंतर्गत चयनित जनजातीय ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क एवं आजीविका संबंधी कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। CEO जिला पंचायत, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य एवं संबंधित विभागीय अधिकारी समन्वय से कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए।

2.9 **PM JANMAN**

विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु स्वीकृत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। योजना अंतर्गत चयनित जिलों में आवास एवं अन्य सुविधाएं समय-सीमा में सुनिश्चित की जाएं। जनजातीय कार्य विभाग, CEO जिला पंचायत एवं संबंधित विभाग समन्वय से कार्य करें। कमजोर प्रगति वाले जिलों में कलेक्टर द्वारा भौतिक निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।

2.10 **NRLM / SHG /** लखपति दीदी

महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण, विपणन एवं आय में वृद्धि संबंधी गतिविधियों से जोड़ा जाए। CEO जिला पंचायत, जिला परियोजना प्रबंधक (NRLM) एवं बैंकर्स समन्वय से कार्य करें। निर्धारित लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर द्वारा समीक्षा कर प्रगति में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

2.11 वन अधिकार अधिनियम

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को अधिकार पत्र प्रदान किए जाएं। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य, वन विभाग एवं राजस्व अमला समन्वय से कार्यवाही करें। लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर एवं DFO द्वारा नियमित समीक्षा की जाए।

2.12 नर्मदा परिक्रमा पथ / पंचकोशी यात्रा मार्ग

नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, प्रकाश, स्वच्छता, सुरक्षा एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। CEO जिला पंचायत, CMO नगरीय निकाय, पर्यटन एवं अन्य संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। कलेक्टर द्वारा समस्याओं की पहचान कर त्वरित निराकरण किया जाए। पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2.13 मनरेगा / SNA-SPARSH

मनरेगा अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री मद के भुगतान में विलंब न हो। भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। किसी समस्या की स्थिति में शासन स्तर पर तत्काल अवगत कराया जाए। कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा की जाए।

2.14 नवीन जिला पंचायत/जनपद पंचायत भवन

नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि विवाद अथवा भूमि अनुपलब्धता वाले प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। CEO जिला पंचायत, राजस्व अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं समीक्षा करें। कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए तथा प्रगति की समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जाए।

3. स्वास्थ्य एवं संबंधित क्षेत्र

(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग)

3.1 कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उपचार

घर-घर सर्वे कर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाए। चिन्हित SAM, MAM एवं SUW बच्चों का उपचार एवं नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। CMHO, DPO, CDPO, पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को दृष्टिगत रखते हुए हाई-रिस्क क्षेत्रों का चिन्हांकन कर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर द्वारा माह में कम से कम दो बार समीक्षा एवं भौतिक निरीक्षण किया जाए।

3.2 रोगी कल्याण समिति / जिला पोषण समिति

जिला स्तर पर रोगी कल्याण समिति एवं जिला पोषण समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर लिए गए निर्णयों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अस्पतालों एवं पोषण सेवाओं की आवश्यकताओं का भौतिक निरीक्षण कर कमियों का निराकरण किया जाए। अस्पतालों में संसाधन, स्वच्छता एवं उपकरणों की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जाए।

3.3 मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम

नवीन चिन्हित बच्चों का तत्काल पंजीयन कर उन्हें आवश्यक उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समय पर प्रदान किया जाए। CMHO, बाल रोग विशेषज्ञ एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का अमला समन्वय से कार्य करें। प्रगति की नियमित समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जाए।

3.4 ANC पंजीयन

सभी गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत ANC पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। ANM, आशा कार्यकर्ता, BMO एवं CMHO नियमित फॉलोअप करें। हाई-रिस्क गर्भावस्थाओं की विशेष निगरानी की जाए।

3.5 एनीमिया एवं PIH प्रबंधन

मॉडरेट एवं गंभीर एनीमिक गर्भवती महिलाओं का उपचार प्राथमिकता से किया जाए। PIH प्रकरणों का समय पर रेफरल एवं उपचार सुनिश्चित किया जाए। जिन जिलों की प्रगति कमजोर है, वहां विभागीय स्तर पर विशेष भ्रमण कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।

3.6 मातृ मृत्यु समीक्षा

प्रत्येक मातृ मृत्यु प्रकरण की कारणवार समीक्षा कर कमियों के निराकरण हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। CMHO द्वारा प्रारंभिक जांच की जाए तथा गंभीर मामलों की समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जाए। ANMOL 2.0 पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं का समग्र आईडी के माध्यम से पंजीयन अनिवार्य किया जाए।

3.7 SNCU / नवजात देखभाल / बाल मृत्यु समीक्षा

SNCU से सफल डिस्चार्ज प्रतिशत में वृद्धि हेतु समस्त संभव प्रयास किये जाएं। शिशु मृत्यु दर वाले उच्च जोखिम क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रत्येक बाल मृत्यु की अनिवार्य समीक्षा कर कारणों का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।

3.8 सिकल सेल / टीबी / निःक्षय पोषण

सिकल सेल जांच एवं उपचार, टीबी स्क्रीनिंग तथा निःक्षय पोषण योजना में प्रगति सुनिश्चित की जाए। रोगियों को समय पर दवा एवं उपचार उपलब्ध कराया जाए। पोर्टेबल मशीन उपलब्ध न

होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्थाओं से जांच सुनिश्चित की जाए। कम प्रगति होने/संतोषजनक व्यवस्थाएँ ना होने की स्थिति में CMHO एवं जिला क्षय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3.9 वय वंदना योजना / भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल

पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर प्रदान किया जाए। श्रम विभाग, सामाजिक न्याय विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग समन्वय से प्रकरणों का निस्तारण करें। कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा की जाए।

3.10 आयुष्मान पंजीयन

पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान पंजीयन नियमानुसार किया जाए। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने की शिकायतों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए।

3.11 स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन स्तर से तैयार चेकलिस्ट अनुसार प्रत्येक माह मे कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

4. अन्य बिंदु

4.1 Forest Degradation

लैंड बैंक की जानकारी कलेक्टर एवं DFO समन्वय कर तैयार करें और वन विभाग को सूचित करें।

4.2 गेहूं, चना एवं मसूर उपार्जन

उपार्जन कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जाए। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल, छाया आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अन्य राज्यों से अनधिकृत आवक रोकने हेतु सीमावर्ती जिलों में चेक-पोस्ट स्थापित किए जाएं। उपार्जन केंद्रों पर प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर निगरानी सुनिश्चित की जाए। किसानों को भुगतान समय पर किया जाए। कलेक्टर द्वारा नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए।

4.3 पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण

ऐतिहासिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण प्राथमिकता से किया जाए। संस्कृति, अभिलेखागार एवं आईटी विभाग समन्वय से कार्य करें तथा प्रगति संबंधित पोर्टल/ऐप पर अद्यतन की जाए।

4.4 जनगणना की प्रगति

जनगणना से संबंधित कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं। जिला नोडल अधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की नियमित समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जाए।

5. सुशासन

(राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, प्रशासन अकादमी)

5.1 नामांतरण / सीमांकन / बंटवारा

लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान संचालित किया जाए। नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा प्रकरणों का समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें । कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा की जाए। भू-अर्जन प्रकरणों में त्वरित निर्णय लेते हुए प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा समय पर प्रदान किया जाए।

5.2 लोक सेवा गारंटी / CM हेल्पलाइन

समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं CM हेल्पलाइन की साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर लंबित न रहे। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। विभाग प्रमुख अपने विभागीय प्रकरणों की सतत निगरानी रखें तथा शीर्ष शिकायतों की समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जाए।

5.3 डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल से जोड़ा जाए। विभागवार प्रगति सुनिश्चित करते हुए प्रशासनिक क्षमता निर्माण को सुदृढ़ किया जाए। प्रगति की समीक्षा कलेक्टर द्वारा की जाए।

6. कानून व्यवस्था

(गृह एवं परिवहन विभाग)

6.1 संवेदनशील क्षेत्र एवं महिला अपराध

संवेदनशील बस्तियों/क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए तथा महिला अपराध संबंधी प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। पुलिस अधीक्षक, महिला थाना प्रभारी एवं संबंधित थाना प्रभारी आवश्यक कार्रवाई करें। जन-जागरूकता अभियान भी संचालित किए जाएं।

6.2 नशीले पदार्थों की रोकथाम (NCORD)

नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु संवेदनशील स्थानों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। NCORD की जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं।

6.3 अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार प्रकरण

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पीड़ितों को राहत राशि समय पर प्रदान की जाए। पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर द्वारा नियमित प्रकरणों की समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

6.4 सड़क सुरक्षा / ब्लैक स्पॉट

दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) की पहचान कर उनका सुधार किया जाए। हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग को अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए। यातायात नियमों के पालन हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।

6.5 नवीन आपराधिक कानून / साइबर अपराध / शस्त्र लाइसेंस

नवीन आपराधिक कानूनों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। शस्त्र लाइसेंस से संबंधित प्रकरणों का समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पुलिस, साइबर सेल एवं जिला प्रशासन समन्वय से कार्य करें।

6.6 PM-राहत योजना / राहवीर योजना

PM-राहत योजना अंतर्गत प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा (24/48 घंटे) में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। राहवीर योजना अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।

मुख्य सचिव द्वारा निम्नानुसार विशेष निर्देश दिए गए—

1. कमजोर प्रगति वाले जिलों में संबंधित विभाग की प्रत्येक माह कम से कम 01 से 02 समीक्षा बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं।
2. जिला कलेक्टर समस्त विभागों के समन्वयक अधिकारी के रूप में प्रगति की व्यक्तिगत एवं नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें।
3. विभागीय अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन निर्धारित समय-सीमा में करें, यह सुनिश्चित किया जाए।
4. शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।
5. जिला कलेक्टर समीक्षा के साथ-साथ भौतिक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें, जिससे सटीक एवं विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।
6. सभी विभाग एवं जिला कलेक्टर समन्वित रूप से कार्य करते हुए आगामी समीक्षा बैठक में स्पष्ट प्रगति एवं ठोस उपलब्धियां प्रस्तुत करें।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक सामाप्त हुई

Digitally signed by
Sachindra Rao
Date: 22-05-2026
18:24:58

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11-28/2020/1/9 **भोपाल, दिनांक 22 मई, 2026**

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कमिश्नर/कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट-अ

प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने वाले अधिकारीगण	1. पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/नगरीय विकास एवं आवास/लोक सेवा प्रबंधन/सहकारिता/संस्कृति/खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/गृह/पंचायत एवं ग्रामीण विकास / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/जनजातीय कार्य / स्कूल शिक्षा/परिवहन/राजस्व/वन/महिला एवं बाल विकास / किसान कल्याण तथा कृषि विकास/श्रम/उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल। 3 संचालक, प्रशासन अकादमी/सीएम हेल्पलाइन
VC के माध्यम से सम्मिलित होने वाले अधिकारीगण	1 समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश । 2 पुलिस कमिश्नर, इंदौर, भोपाल, मध्यप्रदेश । 3 समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/वन मण्डल अधिकारी, मध्यप्रदेश ।